

पत्रांक - 92/02 व्यघ-सामान्य/22

दिनांक 04/02/2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के कम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भरत सिंह कप्रवाण	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री अंशुमान गुप्ता	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर-
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी।
- अधीक्षक अभियन्ता, 07वॉ/09 वॉ0 वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर/देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/गौचर।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
02.02.2023



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक - 94 / 02 व्यघ-सामान्य/22

दिनांक 04/02/2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती आरती रावत	अपर सहायक अभियन्ता (यंत्रिक)	वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री चमन सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (यंत्रिक)	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर-

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ/11 वि०/यॉ० वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई/वि०/यॉ० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया/देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

04.2.2023

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

02.02.2023

पत्राक - 95 / 02 व्यघ-सामान्य / 22

दिनांक 04 / 02 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगमोहन सिंह	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री शशि प्रकाश	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

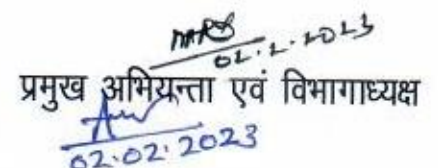


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ0 वृत्त लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा/पावौ।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
02.02.2023

पत्राक - 96 / 02 व्यघ-सामान्य / 22

दिनांक 04 / 02 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रक्षा बघानी	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रूडकी (मु0 देहरादून)	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री आलोक मलिक	अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रूडकी (मु0 देहरादून)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0 कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षक अभियन्ता, 12 वॉ/10 वॉ रा0मा0 वृत्त लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण/रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर/रूडकी(मु0 देहरादून)।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(हस्ताक्षर)
02.02.2023

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
02.02.2023

पत्राक - 97 / 02 व्यघ-सामान्य / 22

दिनांक 04 / 02 / 2023

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रविन्द्र सिंह जलाल	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री हरीश सिंह कनवाल	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर	

- सम्बन्धित अभियन्ताओं को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षर -
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा/देहरादून।
- अधीक्षक अभियन्ता, प्रथम/रा0मा0 वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा/हल्द्वानी।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/हल्द्वानी।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

हस्ताक्षर -
02.02.2023
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
02.02.2023